न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-4-25	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 23/2025 अनवान हुकमाराम वगैरह बनाम सरकार वगैरह अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खातेदारी, कब्जाशुदा व उपयोग–उपभोग की एक कृषि भूमि ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 120 रकबा 2.6224 हैक्टेयर यानि 16 बीघा 4 बिस्वा राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने हेतु पेश किया है। प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को नोटीस जारी कर जवाब एवं तहसीलदार लूणी को तथ्यात्मक रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना पत्र हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक भू.अ./2025/193 दिनांक 01.04.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल हैं। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तनावड़ा के ख. स. 120 रकबा 2.6224 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय लगान 5. 82 हुकमाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/7 जाति नायक सा. देह भू. स. 1 से 10 रकबा 15450 वर्ग गज किस्म गै.मु.आवासीय खातेदार वगैरा शेष बदस्तूर जमाबंदी दर्ज है। नामान्तरण संख्या 793 के जरिये उक्त खसरा संख्या 120 में सपरिवर्तन का नामान्तररण दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया। ख.न. 114 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बारानी लगान 1.44 सुमनचौधरी पत्नि हनुमानराम चौधरी हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. पाल चौपासनी रिंग रोड़ पाल खातेदार दर्ज है। वर्तमान राजस्व नक्शे में ख.न. 120 एवं 114 एक दुसरे के सटे हुए ना होकर दूर–दूर अंकित है जबकि वर्तमान मौके अनुसार ख.न. 120 व 114 एक दुसरे से लगते हुए पाये गये। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। अप्रार्थी संख्या 2 को नोटीस जारी किये गये। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती सुमन चौधरी का जवाब बंद कर तहसीलदार लुणी से पुनः रेकर्ड /मय बेचाननामा की जांच कर रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार लूणी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 के अनुसार खातेदार सुमन चौधरी पत्नि हनुमान चौधरी जाति जाट सा. पाल चौपासनी रिंग रोड रोड़ पाल खातेदार का इन्द्राज ग्राम तनावड़ा के नामान्तरण संख्या 1132 के जरिये हुआ है। नामान्तकरण संख्या 1132 पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपपंजीयक (प्रथम) जोधपुर द्वारा दिनांक 16.05.2008 पु.स. 1 जि. स. 315 पृ.स. 76 क्र.स. 4157 पर पंजीबद्ध है। पंजीबद्ध दस्तावेज अनुसार गोदाराम पि. गिलाराम जाति नाई सा. देह खातेदार द्वारा सुमन चौधरी पत्नि हनुमान चौधरी जाति जाट सा. पाल चौपासनी रिंग रोड पाल खातेदार को 4 बीघा भूमि बेचान की गयी जिसमें ख.न. 114 रकबा कुल 56 बीघा 15 बिस्वा के पड़ौस दर्ज है एवं इसमें से बेचान रकबा 4 बीघा के पड़ौस दर्ज नही है। वर्तमान राजस्व नक्शे में ख.न. 120 एवं 114 एक दुसरे के सटे हुए ना होकर दूर-दूर अंकित है जबकि वर्तमान मौके अनुसार ख.न. 120 व 114 एक दुसरे से लगते हुए पाये गये। अप्रार्थी संख्या 2 सुमन चौधरी ख.स. 114 पर वर्तमान में मौके पर काबिज है। अतः तहसीलदार लूणी प्रकरण में जवाब/जांच रिपोर्ट पेश कर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू-राजस्व अधिनियम में ख.स. 120 व 114 में काबिज प्रार्थी व अप्रार्थी की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती करने हेतु स्पष्ट अनुशंषा की गयी है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के संलग्न राजस्व रेकर्ड समस्त जमाबंदी सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 793, 1132 एवं मौका फर्द का अवलोकन किया। प्रार्थी गत कई वर्षो से मौके पर काबिज रहा है। मौके एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता पाई गई है चूंकि इस कारण से रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार लूणी जरिये सरकार अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते हैं कि माफिक प्रस्तावित जांच रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी तनावड़ा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व लट्ठा नक्शा में ग्राम तनावड़ा के खसरा नं. 120 व 114 एवं इसके बट्टा नंबर राजस्व नक्शे में दुरस्ती संलग्न मौका फर्द में अंकित नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दर्ज करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी